

फर्द अहकाम


अगवान बनाम केचल लखवर्मा

नाम न्यायालय उपलब्ध अधिकारी जजालागठ जजपुर
 केस संख्या 154/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

शर्मा का आपत्ति प्रो. जज खारिज किया जाता है। अतः पुनः पंजापली में उपलब्ध शर्मा का प्रो. जज अन्तर्गत धारा 251ए व अशर्मागठों के ललाक एवं जेदेकाट ललाक के ललाक का अवलोकन किया गया। शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज् काशतकारी आदि विषय को खारिज किया जाता है। युक्ति उक्त खलल नखट 246/3 मुख्य समललाके पर स्थित है। अतः उक्त खलल नखट में आने जाने हेतु प्रकी से शान्त उपलब्ध होने के कारण नया शाला विधाना सम्भव नहीं है। निष्कर्ष आज्ञा अतः खलल नखट गच्छ।

पंजापली के लला शुभाट लेखक नखट से कट है तथा बाद इति शर्मा उक्त है।


 उप खण्ड अधिकारी
 जजपालागठ